राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बड़गुर्जर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
212 / 2020	08.10.2020	05.03.2024

उनवानः

1. जयनारायण उम्र 65 वर्ष पुत्र रामजीलाल जाति अहीर
2. बाबूलाल उम्र 62 वर्ष पुत्र रामजीलाल जाति अहीर
3. हनुमान उम्र 52 वर्ष पुत्र रामजीलाल जाति अहीर सभी निवासी ग्राम आनन्दपुर तह. नीमराना नई तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.....वादीगण

बनाम

1. लल्लूराम उम्र 65 वर्ष पुत्र हजारीलाल पुत्र रामदेव पुत्र सोहनमल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मांढण तह0 नीमराना नई तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. उप पंजीयक महोदय मांढण तह. मांढण
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब मांढण तह0 मांढण
4. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर राज.

.......प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक,दुरूस्ती इन्द्राजात एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिति :– श्री सुनिल दत्त यादव योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से

।। निर्णय ।।

वादीगण द्वारा पेश राजस्व वाद पत्र के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खसरा नम्बर हाल 463 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम आनन्दपुर तह. मांढा मे स्थित है जिसके संवत 2042 से पुर्व के खसरा नम्बर 234 रकबा 13 बिस्वा, 235 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा थे तथा संवत 2020 से पुर्व के खसरा नम्बर 141 रकबा 2 बिघा 5 बिस्वा थे। संवत 2020 से पुर्व के खसरा नम्बर 141 मिन रकबा 2 बिघा 5 बिस्वा का खातेदार हम वादीगण का दादा श्री जीवा पुत्र सालिग थे जिनकी मृत्यु होने पर हम वादीगण के दादा जीवा के तीन पुत्र मीनाराम शंकरलाल व रामजीलाल थे जो तीनो ही उक्त खसरा नम्बर 141 पर अपने पिता के खातेदारी हिस्से पर काबिज हो गये एवं तीनो ने खसरा नम्बर 141 का मौके पर बंटवारा कर काश्त करने लग गये थे और संवत 2020 मे बन्दोबस्त चालू हुआ तो बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा साबिक खसरा नम्बर 141 के मौके पर कब्जा के आधार पर हम वादीगण के पिताजी के कब्जा काश्त के भाग का नया खसरा नम्बर 234 रकबा 13 बिस्वा एवं मीनाराम व शंकरलाल के कब्जा काश्त के भाग का नया नम्बर 235 रकबा 1 बिघा 11 बिस्वा कायम किया जाकर बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो एवं अधिकारीगण द्वारा खसरा नम्बर 235 रकबा 1 बिघा 11 बिस्वा को मीनाराम शंकरलाल रामजीलाल पुत्रान जीवाराम के नाम से सही दर्ज कर दिया गया एवं खसरा नम्बर 234 रकबा 13 बिस्वा को बिना किसी बयनामा एवं बिना किसी आदेश के खिलाफ मौका खिलाफ कानून नियम विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 के बुजूर्ग रामदेव पुत्र सोहनमल ब्राह्मण की बैजा खातेदारी मे उदर्ज कर दिया गया तथा संवत 2042 मे साबिक खसरा नम्बर 235, 234 को शामिल करते हुये नये खसरा नम्बर 463, 464, 465 कायम कर उसमे से खसरा नम्बर 464, 465 मौके पर कब्जा के आधार पर मीनाराम व शंकरलाल के वारिसान की खातेदारी मे दर्ज कर दिये गये जबकि खसरा नम्बर 234 रकबा 13 बिस्वा के मौके पर हम वादीगण का पिता काबिज थे जिससे से कायम नया खसरा नम्बर 463 रकबा 18 एयर की खातेदारी हम वादीगण के पिता रामजीलाल के नाम से दर्ज करनी चाहिऐ थी लेकिन बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो ने बिना मौके पर कब्जा की जांच किये ही गलती व लापरवाही से पीछे के गलत इन्द्राजात को ही रिपीट कर दिया गया। जो गलत खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे रिपीट होती चली आ

कारी
बहरोड)

रही है। उक्त गलत इन्द्राजात की हम वादीगण को जानकारी होने पर हम वादीगण ने अपनी आराजी का हाल व साबिक रिकार्ड की नकले लेकर, गलत रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के लिए प्रतिवादी सं0 1 से कहा तो प्रतिवादी सं0 1 ने पहले तो गलत रिकार्ड को दुरूस्त करवाने की हॉ भरली थी तथा बाद मे प्रतिवादी सं0 1 के दिमाग मे बेईमानी आ गयी इसलिए प्रतिवादी सं0 1 ने गलत रिकार्ड को दुरूस्त करवाने से इंकार कर दिया। इसलिए हम वादीगण द्वारा यह दावा पेश किया गया है । इसलिए दावा मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर हाल 463 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम आनन्दपुर के हाल रिकार्ड मे प्रतिवादी सं0 1 के दादा के नाम से दर्ज गलत खातेदारी को कलमजन किया जाकर उसके खातेदार हम वादीगण को घोषित किया जाने बाबत दावा डिक्री फरमाया जाने की प्रार्थना की गई ।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण बाद तामिल तारीख पेशी दिनांक 14.02.2023 को असालतन या वकालतन न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत की गई।

वादीगण द्वारा अपने दावा के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श सं0 1 से 18 पेश किये गये तथा मौखिक साक्ष्य के रूप मे पी.डब्लू.–1 वादी जयनारायण पुत्र रामजीलाल का ,पी.डब्लू.–2 शेरसिंह पुत्र मेहरचन्द यादव का ,पी.डब्लू.–3 रामकिशन पुत्र जयसिंह यादव का बयान शपथ पत्र पेश किये गये।

वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यो को दौहराते हुऐ तर्क दिये कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के आधार पर वादीगण का वाद पुर्ण रूप से साबित है। इसलिए वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील वादीगण की बहस पर गहनता से मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों के पूर्ण अवलोकन से वादीगण का वाद साबित नही होने के कारण न्यायालय की विनम्र राय के मुताबिक वादीगण का वाद खारिज होने योग्य प्रतीत होता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05-03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

05-03-2024

पंकज बड़गूजर

उपखण्ड अधिकारी

नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

उपखण्ड अधिकारी,नीमराना

(कोटपूतली–बहरोड) राज0

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराणा (कोटपूतली—बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बड़गुर्जर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
212 / 2020	08.10.2020	

उनवान:

1. जयनारायण उम्र 65 वर्ष पुत्र रामजीलाल जाति अहीर
2. बाबूलाल उम्र 62 वर्ष पुत्र रामजीलाल जाति अहीर
3. हनुमान उम्र 52 वर्ष पुत्र रामजीलाल जाति अहीर सभी निवासी ग्राम आनन्दपुर तह. नीमराना नई तहसील मांढण जिला कोटपूतली—बहरोड राज0।

.....वादीगण

बनाम

1. लल्लूराम उम्र 65 वर्ष पुत्र हजारीलाल पुत्र रामदेव पुत्र सोहनमल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मांढण तह0 नीमराना नई तहसील मांढण जिला कोटपूतली—बहरोड राज0।
2. उप पंजीयक महोदय मांढण तह. मांढण
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब मांढण तह0 मांढण
4. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर राज.

.......प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक,दुरूस्ती इन्द्राजात एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिति :— श्री सुनिल दत्त यादव योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

05-03-2024

पंकज बड़गूजर
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराणा (कोटपूतली-बहरोड़)
उपखण्ड अधिकारी नीमराणा
(कोटपूतली—बहरोड) राज0